उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–49/2023
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–27.07.2023
निर्णय दिनांक–27.11.2025

छोटू पुत्र मोरूलाल गुर्जर जाति गुर्जर पेशा काश्त निवासी ग्राम डांगरथल, तहसील निवाई जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

1. गोपीलाल पुत्र मोरूलाल जाति गुर्जर पेशा काश्त निवासी ग्राम डांगरथल, तह0 निवाई, जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई, जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थी–श्री कमलेश कुमार गुर्जर एड0
श्री ईरशाद अहमद खान एड0
प्रतिपक्षीगण–पैरोकार सरकार तहसीलदार पीपलू

आवेदन बाबत् नक्शा शीट शुद्धिकरण बाबत्

अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट. 1956

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 310/2 रकबा 1.2645 हैक्ट. वाके ग्राम जयकिशनपुरा, पटवार हल्का बनवाडा, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। भूमि आराजी ख0न0 310/1 रकबा 1.9726 हैक्ट. वाके ग्राम जयकिशनपुरा, पटवार हल्का बनवाडा में स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी में दर्ज है। पूर्व में भूमि आराजी ख0न0 310 वाके ग्राम जयकिशनपुरा प्रार्थी के पिता द्वारा नो–तोडकर अपने बडे पुत्र अप्रार्थी संख्या 01 के नाम आवंटन करवायी थी और उसके बाद अपने दोनो दोनो पुत्रो के बीच में बहामी बंटवारा कर उत्तर दिशा प्रार्थी व दक्षिण दिशा अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से में दे रखी थी। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 11.03.2015 को गिफ्ट डीड के जरिये प्रार्थी को उत्तर दिशा में दे दी थी। उक्त वर्णित दोनो ख0न0 की तरमीम शीट में राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो की गलती की वजह से वर्तमान नक्शा शीट में उत्तर–दक्षिण की बजाय पूर्व–पश्चिम कर दिया गया है। नक्शा शीट में किया गया इन्द्राज गलत होने से दुरूस्त किये जाने योग्य

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

है। वर्तमान नक्शा शीट में ख0न0 की दिशा परिवर्तन कर दिये जाने पक्षकारान् के बीच में विवाद होने की संभावना हो गई है। इस कारण गिफ्ट डीड के अनुसार उत्तर दिशा में प्रार्थी तथा दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 की नक्शा शीट में तरमीम किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। हाल ही में वर्तमान नक्शा शीट की प्रति निकलवाने पर ख0न0 की दिशा गलत अंकन की जानकारी होने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम जयकिशनपुरा की वर्तमान नक्शा शीट में उत्तर दिशा में ख0न0 310/2 व दक्षिण दिशा में ख0न0 310/1 की तरमीम दुरुस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करे।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। प्रतिपक्षीगण की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी ख0न0 310/2 रकबा 1.2645 हैक्ट. वाके ग्राम जयकिशनपुरा में छोटू पुत्र मोरूलाल जाति गुर्जर सा. डांगरथल के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी ख0न0 310/1 रकबा 1.9726 हैक्ट. वाके ग्राम जयकिशनपुरा में गोपीलाल पुत्र मोरूलाल जाति गुर्जर सा.डांगरथल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी ख0न0 310/1 व 310/2 का पुराना ख0न0 310 था, जो जरिये नामान्तकरण संख्या 1120 दिनांक 20.03.2015 से ख0न0 310 के टुकडे होकर आराजी ख0न0 310/1 व ख0न0 310/2 बनाये गये। उक्त ख0न0 310/1 व 310/2 की मुताबिक दान पत्र के अनुसार तरमीम प्रस्तावित कर नजरी नक्शा संलग्न है।

प्रार्थीगण ने बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 310/2 रकबा 1.2645 हैक्ट. वाके ग्राम जयकिशनपुरा, पटवार हल्का बनवाडा, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। भूमि आराजी ख0न0 310/1 रकबा 1.9726 हैक्ट. वाके ग्राम जयकिशनपुरा, पटवार हल्का बनवाडा में स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी में दर्ज है। पूर्व में भूमि आराजी ख0न0 310 वाके ग्राम जयकिशनपुरा प्रार्थी के पिता द्वारा नो–तोडकर अपने बडे पुत्र अप्रार्थी संख्या 01 के नाम आवंटन करवायी थी और उसके बाद अपने दोनो दोनो पुत्रो के बीच में बहामी बंटवारा कर उत्तर दिशा प्रार्थी व दक्षिण दिशा अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से में दे रखी थी। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 11.03.2015 को गिफ्ट डीड के जरिये प्रार्थी को उत्तर दिशा में दे दी थी। उक्त वर्णित दोनो ख0न0 की तरमीम शीट में राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो की गलती की वजह से वर्तमान नक्शा शीट में उत्तर–दक्षिण की बजाय पूर्व–पश्चिम कर दिया गया है। नक्शा शीट में किया गया इन्द्राज गलत होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। वर्तमान नक्शा शीट में ख0न0 की दिशा परिवर्तन कर दिये जाने पक्षकारान् के बीच में विवाद होने की संभावना हो गई है। इस कारण गिफ्ट डीड के अनुसार उत्तर दिशा में प्रार्थी तथा दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 01 की नक्शा शीट में तरमीम किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

प्रतिपक्षीगण पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि आराजी ख0न0 310/2 रकबा 1.2645 हैक्ट. वाके ग्राम जयकिशनपुरा में छोटू पुत्र मोरुलाल जाति गुर्जर सा. डांगरथल के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी ख0न0 310/1 रकबा 1.9726 हैक्ट. वाके ग्राम जयकिशनपुरा में गोपीलाल पुत्र मोरुलाल जाति गुर्जर सा.डांगरथल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी ख0न0 310/1 व 310/2 का पुराना ख0न0 310 था, जो जरिये नामान्तकरण संख्या 1120 दिनांक 20.03.2015 से ख0न0 310 के टुकडे होकर आराजी ख0न0 310/1 व ख0न0 310/2 बनाये गये। उक्त ख0न0 310/1 व 310/2 की मुताबिक दान पत्र के अनुसार तरमीम प्रस्तावित कर नजरी नक्शा संलग्न है।

पत्रावली में प्रस्तुत हाल नक्शा शीट, रजिस्टर्ड दानपत्र व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात के पूर्व ख0न0 310 रकबा 12–16 बीघा थे। जिसमें से प्रतिपक्षी संख्या 01, प्रार्थी को 05–00 भूमि जरिये दान पत्र उत्तर दिशा की तरफ दी गई थी। जिसके फलस्वरूप ख0न0 310/1 व 310/2 अस्तित्व में आये है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजीयात की तरमीम मुताबिक दान पत्र नही की जाकर, दान पत्र में दिये गये कब्जे के विपरित की गई है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 310/1 व 310/2 वाके ग्राम जयकिशनपुरा, पटवार हल्का बनवाडा की हाल नक्शा शीट में की गई त्रुटीपूर्ण तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार पीपलू द्वारा मुताबिक रजिस्टर्ड दानपत्र व प्रस्तावित नक्शा शीट के मुताबिक तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गण[illegible] आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with OKEN Scanner